छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा   पंचम सत्र   अंक-15

रायपुर, बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025

(फाल्गुन 28, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-05 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री किरण देव अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 37 तारांकित एवं 59 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

(तारांकित प्रश्न संख्या- 02 पर चर्चा के दौरान श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

3. जन्म दिवस की बधाई

माननीय सभापति ने माननीय सदस्य श्री लालजीत सिंह राठिया को जन्मदिन पर अपनी एवं सदन की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

4. सदन को सूचना

मानननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गयी है । कृपया, सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-1,

(2) श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार गुड्स एण्ड सर्विसिस टैक्स नेटवर्क (एक सरकारी उद्‌यम) की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, तथा

(3) श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट),

पटल पर रखे।

6. पृच्छा

माननीय सदस्य सर्वश्री दिलीप लहरिया, कुंवर सिंह निषाद, अटल श्रीवास्तव, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, संदीप साहू, बालेश्वर साहू, श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्रीमती अंबिका मरकाम एवं श्री उमेश पटेल द्‌वारा अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों से संबंधित विषयों के संबंध में आसंदी का ध्यानाकृष्ट किया गया ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत बम्हनीडीह परियोजना में रेडी टू ईट वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री संदीप साहू, सदस्य ने जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत स्थित औद्योगिक इकाईयों में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार) का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार) ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती चातुरी नंद
(2) श्री दलेश्वर साहू
(3) श्री अटल श्रीवास्तव
(4) श्रीमती कविता प्राण लहरे
(5) श्री पुन्नूलाल मोहले

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अमर अग्रवाल, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने समिति का बारहवां, तेरहवां, चौदहवां एवं पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती गोमती साय
(2) श्री लखेश्वर बघेल
(3) श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
(4) श्रीमती संगीता सिन्हा
(5) श्री ओंकार साहू
(6) श्रीमती अंबिका मरकाम
(7) श्री इन्द्र कुमार साहू

(8) श्री रोहित साहू

(9) श्री विनायक गोयल

11.शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025) पुर:स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025) पुर:स्थापित किया ।

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया, जो इस प्रकार है :-

(1)	रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025)	30 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025)	15 मिनट

12. वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन से संबंधित मांग संख्या-1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या- 2, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (आबकारी) से संबंधित मांग संख्या-7, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-12, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या- 14, मछली पालन से संबंधित मांग संख्या-16, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या- 25, जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-32, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या-35, परिवहन से संबंधित मांग संख्या-36 ग्रामोद्योग से संबंधित मांग संख्या-56, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-60, विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या-65, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या-71, संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-26, स्कूल शिक्षा से संबंधित मांग संख्या-27,

पर्यटन से संबंधित मांग संख्या-37, उच्च शिक्षा से संबंधित मांग संख्या-44, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या-51, सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-77 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-1 पर सर्वश्री लखेश्वर बघेल, दिलीप लहिरया, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री इन्द्र साव, **मांग संख्या-7** पर श्रीमती अनिला भेंड़िया, सर्वश्री दिलीप लहिरया, कुंवर सिंह निषाद, जनक ध्रुव, इन्द्र साव, **मांग संख्या-12** पर सर्वश्री दिलीप लहिरया, कुंवर सिंह निषाद, जनक ध्रुव, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री इन्द्र साव, **मांग संख्या-14** पर सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, दिलीप लहिरया, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री जनक ध्रुव, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री इन्द्र साव, **मांग संख्या-16** पर श्री कुंवर सिंह निषाद, **मांग संख्या-25** पर श्री दिलीप लहरिया, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री ब्यास कश्यप, इन्द्र साव, **मांग संख्या-32** पर श्रीमती शेषराज हरवंश, **मांग संख्या-36** पर श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री जनक ध्रुव, दिलीप लहरिया, इन्द्र साव, ब्यास कश्यप, **मांग संख्या-56** पर श्रीमती शेषराज हरवंश, **मांग संख्या-65** पर श्रीमती शेषराज हरवंश, **मांग संख्या-26** पर श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री दिलीप लहरिया, **मांग संख्या-27** पर श्रीमती अनिला भेंड़िया, सर्वश्री लखेश्वर बघेल, दिलीप लहरिया, इन्द्र साव, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सर्वश्री लालजीत सिंह राठिया, कुंवर सिंह निषाद, **मांग संख्या- 37** पर श्री दिलीप लहरिया, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री कुंवर सिंह निषाद, **मांग संख्या-44** पर श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री इन्द्र साव, दिलीप लहरिया, ब्यास कश्यप, लालजीत सिंह राठिया, **मांग संख्या-51** पर सर्वश्री दिलीप लहरिया, कुंवर सिंह निषाद, सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ की ।

श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, अटल श्रीवास्तव, धरमलाल कौशिक, श्रीमती संगीता सिन्हा,

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुई।)

श्री राजेश मूणत

13.सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन हेतु 4.00 बजे का समय निर्धारित है, चूंकि अभी अनुदान की मांगों पर चर्चा जारी है। अत: मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरान्त विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जायेगा।

14. वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, नीलकंठ टेकाम, दिलीप लहरिया

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री अनुज शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री मोतीलाल साहू,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री गुरु खुशवंत साहेब, पुन्नूलाल मोहले,

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14.शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025) पुर:स्थापित किया ।

रात्रि 9.03 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 2025 (फाल्गुन-29, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा